



संख्या : /जी०एस०/शिक्षा/A3-63(1)/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड  
महोदय,

देहरादून : दिनांक / / फरवरी, 2020

कृपया कुलपति के पत्र संख्या: 1060 मान्यता/के०यू०/2019-2020 दिनांक 10.12.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाजपुर, उधमसिंहनगर को एम०एस-सी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) पाठ्यक्रम में सत्र 2019-20 से 2020-2021 की अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 के सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यू०जी०सी० विनियमों के अनुसार वर्ष दर वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने का निर्णय पूर्व में लिया गया है। अतः छात्र/छात्राओं के भविष्य के दृष्टिगत निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत उक्त महाविद्यालय को निम्नानुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीट एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या/संस्तुति के अनुसार मानक पूर्ण कराने पर कार्रवाई कराते हुए विश्वविद्यालय कार्यपरिषद, नियामक संस्था/यू०जी०सी० के मानकों के पूर्ण होने की दशा में सत्र 2019-20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण विषयक निर्णय लेकर विश्वविद्यालय आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करेगा तथा तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना से मा० कुलाधिपति महोदय को अवगत कराया जायेगा :-

क्र० सं०	महाविद्यालय/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाजपुर, उधमसिंहनगर	एम०एस-सी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित)	प्रति विषय 10 सीट	सत्र 2019-20 हेतु

(1) महाविद्यालय में फ़ैकल्टी की अर्हता विषयक अनुमोदन विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(2) महाविद्यालय में प्रयोगशाला बनवाये जाने व तत्सम्बन्धी उपकरणों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित स्तर पर प्रयास किया जायेगा।

3- तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

( रमेश कुमार सुधांशु )  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3975 (1)/जी०एस०/शिक्षा/A3-63(1)/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

( विक्रम सिंह यादव )

कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।